Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चूरू में श्रम विभाग के उप प्रबन्धक का चालक अनुबंधित वाहन 1 लाख रुपये का चैक रिश्वत राशि के रूप में लेते गिरफ्तार**
- **मृतक श्रमिक के मुआवजे की फाईल स्वीकृत करने की एवज में मांगी थी रिश्वत**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *12 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये मो. आरीफ चालक अनुबंधित वाहन श्रम विभाग चूरू को परिवादी से एक लाख रुपये का चैक रिश्वत के रूप में लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई की मृत्यु पर श्रम विभाग से मिलने वाले 5 लाख रुपये के क्लेम आवेदन को स्वीकृत कराने की एवज में विक्रम सिंह उप प्रबन्धक श्रम विभाग चूरू द्वारा मो. आरीफ चालक अनुबंधित वाहन श्रम विभाग चूरू के माध्यम से परिवादी से एक लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चूरू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द कुमार स्वामी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मो. आरीफ पुत्र श्री कुरेड़ खान कायमखानी निवासी आथूणा मोहल्ला, चूरू हाल चालक अनुबंधित वाहन श्रम विभाग चूरू को परिवादी से एक लाख रुपये का चैक रिश्वत राशि के रूप में लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम सिंह उप प्रबन्धक श्रम विभाग चूरू की भूमिका की विस्तृत जाँच जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।